प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-28.10.2024

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

◆एक व्यक्ति से मोबाईल की छिनैती करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार,छिनैती की मोबाइल बरामद

◆घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को पुलिस टीम ने किया बरामद

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक सदर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सैयदराजा की टीम द्वारा एक युवक से मोबाईल की लूट कर फरार होने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

पूर्व की घटना:- वादी स्वतंत्र कुमार पुत्र स्व0 श्याम लाल निवासी ग्राम बगही कुम्भापुर (मकरमपुर) थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 25.10.2024 को वह अपने सायकिल से अपने ससुराल ग्राम छत्तेम से घर ग्राम बगही कुम्भापुर की ओर जा रहा था कि समय करीब 20.30 बजे रात को सैयदराजा रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के पास फोन करने के लिए जेब से फोन निकाल कर बात करने की कोशिश करने लगा कि पीछे से तीन लड़के मोटर साइकिल से आकर धमकी देते हुए भयभीत कर एण्ड्रायड मोबाईल छीन कर भाग गये।

वादी की तहरीर के आधार पर मु.अ.सं. 186/2024 धारा 309(4) BNS थाना सैयदराजा पर पंजीकृत विवेचना प्रचलित की गई।

घटना का अनावरण:- दिनांक 27.10.2024 को व0उ0नि0 संतोष यादव मय हमराहियान को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दिनांक 25.10.2024 को एक व्यक्ति से मोबाइल की लूट करने वाले अभियुक्तगणों को ग्राम जेवरियाबाद रोड जो कन्दवा से सैयदराजा की तरफ आती है, पर चेकिंग के दौरान तीन अभियुक्तों को कन्दवा सैयदराजा मार्ग ग्राम जेवरियाबाद रोड पर समय करीब 22.10 बजे गिरफ्तार किया गया,

जिनके कब्जे से छिनैती का मोबाइल भी बरामद किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं. 186/2024 धारा 309(4) BNS थाना सैयदराजा

गिरफ्तार अभियुक्त

1.अंकुर पटेल उर्फ लक्ष्मी नारायण पटेल पुत्र अरविन्द पटेल नि. ग्रा. लोकमनपुर थाना सैयदराजा चन्दौली उम्र करीब 21 वर्ष

2.शिवा यादव पुत्र स्व0 कन्हैया यादव नि. मरूई थाना सैयदराजा चन्दौली उम्र करीब 20 वर्ष

3.विमलेश पटेल पुत्र कमलेश पटेल नि. मरुई थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली उम्र करीब 18 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगणः-

अभियुक्त अंकुर पटेल उर्फ लक्ष्मी नारायण पटेल –

1.मु.अ.सं. 117/2024 धारा 351(2)/351(3)/352 बीएनएस 2023 थाना सैयदराजा चन्दौली

2.मु.अ.सं. 182/2024 धारा 109(1), 115(2), 351(2), 352 बीएनएस 2023 व 3(2)(v) एससीएसटी एक्ट थाना सैयदराजा चन्दौली

3.मु.अ.स. 186/2024 धारा 309(4)/317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

अभियुक्त शिवा यादव पुत्र स्व0 कन्हैया यादव-

1.मु.अ.स. 186/2024 धारा 309(4)/317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

अभियुक्त विमलेश पटेल पुत्र कमलेश पटेल-

1.मु.अ.स. 186/2024 धारा 309(4)/317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरणः-

1. छिनैती की मोबाइल एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल
2. घटना में प्रयुक्त वाहन मो.सा. संख्या यूपी 67 एजे 6270
3. 400 रुपये चिटबन्दी का रुपया

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण

1. निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी- प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा जनपद चन्दौली
2. उप निरीक्षक- व.उ.नि. सन्तोष कुमार चौहान थाना सैयदराजा चन्दौली।
3. उप निरीक्षक छोटेलाल राम थाना सैयदराजा चन्दौली।
4. हे.का. गया प्रसाद थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।
5. हे.का. विजय कुमार थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
6. का. अंशुमान सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

➡थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 55 पेटी 8 पीएम टेट्रा पैक प्रत्येक 180 एमएल कुल 475.20 लीटर अवैध अग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रुपये) बरामदगी के साथ 01 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे अवैध शराब एंव मादक पदार्थो की तस्करी की रोक थाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली गगन राज सिंह के नेतृत्व में थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर के कब्जे से 55 पेटी 8 पीएम टेट्रा पैक प्रत्येक 180 एमएल कुल 475.20 लीटर अवैध अग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रुपये) व एक ट्रैक्टर वाहन संख्या BR24GD0611 बरामदगी के साथ 01 शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चन्दौली पर मु0अ0सं0 265/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही- आज दिनांक 28.10.2024 को उ0नि रावेन्द्र सिहं मय हमराह चौकी नवीन मण्डी चौकी क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की अज्ञात वाहन में अवैध शराब ले जाया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा नवीन सब्जी मण्डी के सामने चेकिंग के दौरान एक नीले रंग का सोनालिका ट्रैक्टर जिसका नम्बर BR24GD0611 जिसमे ईंट लदी ट्राली लगी थी। ईट हटवाकर देखा गया तो चार परत ईट के नीचे कुल 55 पेटी 8 पीएम ट्रेट्रा पैक 180 ml अवैध अग्रेजी शराब बरामद हुआ प्रत्येक पेटी में 48 पाउच कुल मात्रा 475.20 लीटर बरामद हुआ ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नं0 BR24GD0611 ई चालान एप्प से चेक किया गया तो चेक करने पर वाहन स्वामी मनोज पाण्डेय पुत्र मदन पाण्डेय निवासी मोहता काराकट रोहतास बिहार चेचिस नं0 EUHSP1474821SM ई0नं0 3100NS44G1458788F31 पाया गया व जिसका भौतिक सत्यापन किया गया तो सही पाया गया। पकड़े गये वाहन चालक की पहचान कुन्दन कुमार पुत्र स्व० हलिवन्त सिंह निवासी बहुआरा थाना सूर्यपुरा जिला रोहतास उम्र करीब 24 वर्ष के रुप में हुई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 265/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- पूछताछ के दौरान पकडे गये अभियुक्त ने बताया कि मै हाइवे में ट्रैक्टर ले कर जाता हूं व हाइवे पर एक व्यक्ति आता है अलीनगर से कुछ दूर आगे माल लदा ट्रैक्टर मुझे मिल जाता है मैं वही से लेकर बिहार चला जाता हूं जहां पर शराब बिक्री पर प्रतिबन्ध है तो वहां पर शराब को ऊचे दामो पर बेच कर ट्रैक्टर मालिक को काफी मुनाफा प्राप्त होता है मुझे प्रति चक्कर के हिसाब से 10000/- रु0 प्राप्त होता है ।

पंजीकृत मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 265/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना व जनपद चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कुन्दन कुमार पुत्र स्व0 हलिवन्त सिंह निवासी बहुआरा थाना सूर्यपुरा जिला रोहतास उम्र करीब 24 वर्ष

(गिरफ्तार अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।)

बरामदगी का विवरण-

1.55 पेटी 8 पीएम टेट्रा पैक प्रत्येक 180 एमएल कुल 475.20 लीटर अवैध अग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रुपये)

2.एक ट्रैक्टर ट्राली वाहन संख्या BR24GD0611

गिरफ्तारी व बरामदगी टीम का विवरण-

1.प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह चन्दौली जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 रावेन्द्र सिंह

3.उ0नि0 सूरज सिंह

4.का0 नीलकमल यादव

5.का0 विजय कुमार